

पूर्वोत्तर रेलवे (वाराणसी मंडल)

कार्यालय आदेश सं.-42

कार्यालय आदेश सं.-34/2015 में आंशिक संशोधन करते हुए मंकाधि या सकाधि के मुख्यालय से बाहर रहने या अनुपस्थिति में सकाधि-। का कार्य सकाधि-।।, सकाधि-।। का कार्य सकाधि-। देखेंगे। सकाधि-। एवं सकाधि-।। के मुख्यालय से बाहर रहने पर उनका कार्य मंकाधि देखेंगे। मंकाधि के मुख्यालय से बाहर रहने पर उनका कार्य सकाधि-। देखेंगे।


उपरोक्त पर मंकाधि/सम. का आदेश प्राप्त है।

(मंडल कार्मिक अधिकारी)  
कृते मंडल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)  
दि.21.0232016

सं0- का/191/राज0/इयूटी लिस्ट,

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य कार्मिक अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
2. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/गोरखपुर।
3. मंरेप्र/अमंरेप्र, वाराणसी।
4. सभी शाखाधिकारी, वाराणसी मण्डल।
5. सभी सम्बन्धित अधिकारी।
6. निजी सचिव(मंरेप्र)/वाराणसी।
7. समस्त कार्याधी/कार्मिक शाखा।
8. सभी कार्मिक निरीक्षक।
9. गोपनीय अनुभाग (वमंकाधि)।
10. मण्डल मंत्री/नरमू, ओ.बी.सी एवं अजा/अजजा. एसो0।

  
21/02/16  
कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (का0)  
वाराणसी